सत्यमेव जयते

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20,रूल्स 6,7,सीपीसी)

न्यायालय

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—417/2015

दर्ज तिथिः—09.10.2015

1. ऐलची पुत्री सोनाराम पत्नी जोधाराम
जाति विश्नोई निवासी सुदाबेरी खुर्द, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर हाल निवासी मेघावा तहसील चितलवाना, जिला सांचोर

..............................वादीनी

बनाम

1. सोनाराम पुत्र खींयाराम (फौत के कायम मुकाम वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 02)
2. मोहनलाल पुत्र सोनाराम
3. सुरताराम पुत्र खींयाराम
4. भैराराम पुत्र खींयाराम
5. तुलछाराम पुत्र खींयाराम
6. हरचंद पुत्र खींयाराम
7. आसूराम पुत्र खींयाराम
8. धुड़ी पत्नी खींयाराम(फौत कायम मुकाम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 7)
9. रामकिशन पुत्र रूघाराम( फौत के कायम मुकाम)
   9/1 भोमाराम पुत्र रामकिशन
   9/2 सदराम पुत्र रामकिशन
10. माधाराम पुत्र रूघाराम( फौत के कायम मुकाम)
    10/1 भागीरथ दतक पुत्र माधाराम
11. ठाकराराम पुत्र रूघाराम
12. भारमल पुत्र रूघाराम(फौत के कायम मुकाम)
    12/1 जुंजाराम पुत्र भारमल
13. नोजी पत्नी रूघाराम(फौत के कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 9 से 12)
14. मीरादेवी पत्नी तुलछाराम
15. मिरगों देवी पत्नी आसुराम
16. रूपों देवी पत्नी भैराराम
    जाति विश्नोई निवासी सुदाबेरी खुर्द तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
17. तहसीलदार धोरीमना जिला बाड़मेर

..............................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

ऐलची बनाम सोनाराम
2016 / 00091
निर्णय दिनांकः—19.09.2025

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री जगदीश कुमार
प्रतिवादीः—श्री रामनिवास विश्नोई(2)
श्री देवाराम चौधरी(5,14,15,16)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,91,188,207
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955
सपठित धारा 6 व 8 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम

## —:पर्चा डिक्रीः—

वादीनी का दावा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिदावा बाबत इस्तकरार हक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 2 को मुतनाजा आराजी हाल ग्राम सुदाबेरी खुर्द पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमना के खसरा संख्या 42 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 43 रकबा 89.16 बीघा, खसरा संख्या 43 / 2 रकबा 37.14 बीघा, कुल रकबा 128—03 बीघा तथा मौजा सुदाबेरी पटवार हल्का सुदाबेरी तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 68 रकबा 97—05 बीघा, खसरा संख्या 122 रकबा 10—06 बीघा,कुल रकबा 107—11 बीघा में 2015 में वादीनी के पिता द्वारा निष्पादित किये गए बेचाननामे में अपने 1 / 42 हिस्से को वैध मानते हुए शेष बेचान शून्यकरणीय होने से अपास्त किया जाकर उनके स्थान पर वादीनी व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता सोनाराम के हिस्से में से सम्पूर्ण आराजी का 1 / 42—1 / 42 हिस्से की संयुक्त खातेदार मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के अनुसार हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। तथा वादीनी व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीनी के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युंक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:19:52 IST
Reason: SelfAttested

19/9/2025
(भागीरथ राम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना